

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2016—पौष 24, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

एफ ए 3-33-2014-1-पांच(3).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976), (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसी औद्योगिक इकाई, जो औद्योगिक संवर्धन नीति, 2014 के अधीन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा लागू की गई प्रोत्साहन योजना के उपबंधों के अनुसार प्रवेश कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र है, के उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

2. कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो एक नई औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में निवेश प्रोत्साहन पर मंत्रि-परिषद् समिति (सी. सी. आई. पी.) द्वारा प्रवेश कर के भुगतान से छूट की सुविधा मंजूर की गई हो, स्थापित करता है, इस योजना के अधीन प्रवेश कर से छूट की सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र होगा. सुविधा ऐसी कालावधि के लिए जैसा कि समिति द्वारा स्वीकृत की जाए, उपलब्ध होगी.

3. अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1-पांच(96), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 और अधिसूचना क्रमांक ए-3-25-2010-1पांच (97), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच(3), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. F A3-33-2014-1-FIVE(3).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of entry tax under the said Act, an industrial unit, eligible to avail of the facility of exemption from payment of entry tax in accordance with the provisions of Promotion Scheme made by the Commerce, Industry and Employment Department under the Industrial Promotion Policy, 2014.

2. A registered dealer who establishes a new industrial unit in respect of which facility of exemption from payment of entry tax has been sanctioned by the Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP), shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of entry tax under this notification. The facility shall be available for the period as may be sanctioned by the Committee.

3. The provisions of the Notification No. A-3-25-2010-1-V (96) dated 13th December, 2010 and the Notification No. A-3-25-2010-1-V (97) dated 13th December, 2010 shall, mutatis mutandis, apply to the exemption under this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच(4).—मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74), (जो इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 8 की उपधारा (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	अधिसूचना क्रमांक तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	ए-3-41-81-विक-पांच (35), दिनांक 23.10.1981	अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-ख में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।
2.	ए-3-11-86-विक-पांच (74), दिनांक 23.10.1986	(1) अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-ख में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) पैरा 2 में, खण्ड (तेरह) में, मद ग के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :- "ग) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या

		उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो।"।
3.	ए-3-1-92-विक-पांच (56), दिनांक 31.03.1992	अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-ख में,- (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।
4.	ए-3-1-92-विक-पांच (57), दिनांक 31.03.1992	अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-ख में,- (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।
5.	ए-3-24-94-विक-पांच (108), दिनांक 06.10.1994	(1) अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-ख में,- (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) पैरा 2 में, खण्ड (दो) में, मद (47) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :- "(47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो)।"।
6.	ए-3-(1)-95-विक-पांच (43), दिनांक 06.06.1995	(एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) पैरा 3 में, मद (47) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :- "(47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति

		या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो।"।
7.	ए-3-12-95-विक-पांच (96), दिनांक 07.11.1997	(1) अनुसूची के पश्चात्, पैरा 1-ख में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच(4), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. FA3-33-2014-1-FIVE(4).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with Section 17 of the Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act), and sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), (hereinafter referred to as the Central Act), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notifications specified in column (2) of the table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table, namely :—

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	A-3-41-81-ST-V (35), dated 23.10.1981	After the Schedule, in para 1-B,- (i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted; (ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.

2.	A-3-11-86-ST-V (74), dated 23.10.1986	<p>(1) After the Schedule, in para 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p> <p>(2) In para 2, in clause-(XIII), for the item C, the following item shall be substituted, namely :-</p>
		<p>"(C) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or "Special package, 2014" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be)."</p>
3.	A-3-1-92-ST-V (56), dated 31.03.1992	<p>After the Schedule, in para 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p>
4.	A-3-1-92-ST-V (57), dated 31.03.1992	<p>After the Schedule, in para 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p>

<p>5.</p>	<p>A-3-24-94-ST-V (108), dated 06.10.1994</p>	<p>(1) After the Schedule, in para 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p>
		<p>(2) in para 2, in clause (II), for item (47), the following item shall be substituted, namely :-</p> <p>"(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package under the provision of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or "Special package, 2014" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be)."</p>
<p>6.</p>	<p>A-3-(1)-95-ST-V (43), dated 06.06.1995</p>	<p>After the Schedule, in para 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p> <p>(2) In para 3, for item (47), the following item shall be substituted, namely :-</p> <p>"(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package under the provision of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or "Special package, 2014" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be)."</p>

7.	A-3-12-95-ST-V (96), dated 07.11.1997	<p>After the Schedule, in para 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p>
----	--	--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

एफ ए 3-33-2014-1-पांच(5).—मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 37 तथा धारा 80 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ड) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74), (जो इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 13 की उपधारा (3) के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	अधिसूचना क्रमांक एवं तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	ए-3-41-81-विक-पांच (29), दिनांक 1.9.1983 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1983)	उक्त नियमों में,— (1) नियम 3 में, उप-नियम (4) में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं;

		<p>(दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।</p> <p>(2) नियम 14 में, मद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :-</p> <p>"(ग) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो)।"</p>
<p>2.</p>	<p>ए-3-11-86-विक-पांच (91).</p>	<p>उक्त नियमों में,-</p> <p>(1) नियम 3 के उप-नियम (4) में,-</p>
	<p>दिनांक 30.12.1986 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1986)</p>	<p>(एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं;</p> <p>(दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।</p> <p>(2) नियम 11 में, अंक तथा शब्द "1986, कोई बंद औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2010" या "पुनर्जीवन योजना", यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा मंजूर की गई हो, को छोड़कर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "1986, कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर" स्थापित किए जाएं।</p>

3.	<p>ए-3-24-94-विक-पांच (109), दिनांक 31.3.1992 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1994)</p>	<p>उक्त नियमों में,— (1) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग ख) में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) नियम 11 के खण्ड (ख) में, अंक तथा शब्द "1994, कोई बंद औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा "विशेष पैकेज" 2010 या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर", के स्थान पर, अंक तथा शब्द "1986, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के</p>
		<p>उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर," स्थापित किए जाएं।</p>
4.	<p>ए-3-(1)-95-92-विक-पांच (44), दिनांक 6.6.1995 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1995)</p>	<p>उक्त नियमों में,— (1) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ख ख) में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) नियम 11 में, अंक तथा शब्द "6.6.95, कोई बंद औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा "विशेष पैकेज" 2010 या</p>

		<p>"पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर", के स्थान पर अंक तथा शब्द "6.6.95, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर," स्थापित किए जाएं।</p>
5.	<p>ए-3-12-95-विक-पांच (97), दिनांक 7.11.1997 (मध्यप्रदेश कर के भुगतान का आस्थगन नियम, 1997)</p>	<p>उक्त नियमों में,— (1) नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग ख) में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) नियम 11 में, अंक तथा शब्द "1997, कोई बंद औद्योगिक इकाई जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के</p>
		<p>उपबंधों के अधीन यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा "विशेष पैकेज" 2010 या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर," के स्थान पर अंक तथा शब्द "1997, कोई बंद औद्योगिक इकाई, जिसके संबंध में, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो, को छोड़कर," स्थापित किए जाएं।</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच (5), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. F A3-33-2014-1-FIVE(5).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with Section 37 and sub-section (1) and clause (m) of sub-section (2) of Section 80 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act) and sub-section (3) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) (hereinafter referred to as the Central Act), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notifications specified in column (2) of the table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table, namely:—

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	A-3-41-81-ST-V (29) dated 1.9.1983 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1983)	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) in rule 3, in sub-rule (4),-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p> <p>(2) In rule 14, for item (C), the following item shall be substituted, namely :-</p> <p>"(C) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or "Special package, 2014" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion</p>

		Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.
2.	A-3-11-86-ST-V (91) dated 30.12.1986 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1986)	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) In sub-rule (4) of rule 3,-</p> <p>(i) For the words and figure “Special package, 2010”, the words and figures “Special package, 2010 or Special Package, 2014” shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure “Industrial Promotion Policy, 2010”, the words and figures “Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014” shall be substituted.</p> <p>(2) In rule 11, for the figures and words “1986, other than a closed industrial unit in respect of which the “Special” package” or “Revival package” under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as he case may be, the figures and words and figures “1986, other than a closed industrial unit in respect of which the ‘Special package’ or “Special package, or ‘Revival’ package under Udyog Sabnvardhan Niti, 2014’ or ‘Special package, 2010 or ‘Revival scheme’ under the Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be shall be substituted.</p>
3.	A-3-24-94-ST-V (109) dated 31.03.1992 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1994)	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) In rule 3, in sub-rule (1), in clause (cb),-</p> <p>(i) For the words and figure “Special package, 2010”, the words and figure “Special package, 2010 or Special Package, 2014” shall be substituted;</p>

		<p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p> <p>(2) In clause (b) of rule 11, for the figures and words "1994, other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, the figures and words "1986, other than a closed industrial unit in respect of which the 'Special package' or 'Revival package' under Udyog Sabnvardhan Niti, 2014' or 'Special package, 2010 or 'Revival scheme' under the Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be shall be substituted.</p>
4.	<p>A-3 (1)-95-92-ST-V (44) dated 6.6.1995 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1995)</p>	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) In rule 3, in sub-rule (1), in clause (bb),-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p> <p>(2) In rule 11, for the figures and words "6.6.95, other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, the figures and words and figures "1986, other than a closed industrial</p>

		unit in respect of which the 'Special package' or "Special package, or 'Revival package under Udyog Sabnvardhan Niti, 2014' or 'Special package, 2010 or 'Revival scheme' under the Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be shall be substituted.
5.	A-3-24-95-ST-V (97) dated 06.10.1994 (Madhya Pradesh Deferment of Payment of Tax Rules, 1997)	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) In rule 3, in sub-rule (1), in clause (bb),-</p> <p>(i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.</p> <p>(2) In rule 11, for the figures and words "1994, other than a closed industrial unit in respect of which the "Special package" or "Revival package" under the provisions of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or "Special package, 2010" or "Revival scheme" under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as he case may be, the figures and words and figures "1986, other than a closed industrial unit in respect of which the 'Special package' or "Special package, or 'Revival package under Udyog Sabnvardhan Niti, 2014' or 'Special package, 2010 or 'Revival scheme' under the Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be shall be substituted.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच(6).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976), (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा रीति में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	अधिसूचना क्रमांक एवं तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	422-6596-41-81-पांच-विक -दिनांक 09.2.1977	उक्त नियमों में, पैरा 3 में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं।
2.	ए-3-24-94-विक-पांच (97), दिनांक 6.10.1994	उक्त नियमों में, पैरा 1-ख में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) परिशिष्ट-1 में, मद (47) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :— " (47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज" या "पुनर्जीवन पैकेज" या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज 2010" या "पुनर्जीवन योजना" या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन "विशेष पैकेज, 2014 या "पुनर्जीवन योजना" मंजूर की गई हो)।"।
3.	ए-3-(एक)-95-विक-पांच (47), दिनांक 6.07.1995	उक्त नियमों में, पैरा 1-ख में,— (एक) शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" के स्थान पर, शब्द और अंक "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" स्थापित किए जाएं। (2) परिशिष्ट-1 में, मद (47) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

		<p>“(47) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज 2010” या “पुनर्जीवन योजना” या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज, 2014 या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो)।”।</p>
<p>4.</p>	<p>ए-3-1-68-2004-1-पांच (21), दिनांक 4.4.2005</p>	<p>उक्त नियमों में, पैरा 2-ग में,— (एक) शब्द और अंक “विशेष पैकेज, 2010” के स्थान पर, शब्द और अंक “विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014” स्थापित किए जाएं; (दो) शब्द और अंक “उद्योग संवर्धन नीति, 2010” के स्थान पर, शब्द और अंक “उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014” स्थापित किए जाएं। (2) उपाबंध-एक में, मद (45) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :- “(45) किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2004 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज” या “पुनर्जीवन पैकेज” या उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज 2010” या “पुनर्जीवन योजना” या उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज, 2014 या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो)।”।</p>
<p>5.</p>	<p>ए-3-25-2010-1-पांच (96), दिनांक 13.12.2010</p>	<p>(एक) उक्त नियमों में, पैरा 5-क के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:- “5-ख (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसे बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा “विशेष पैकेज, 2014” या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो अधिग्रहित या पुनर्जीवित किया है तथा जिसके पक्ष में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और ऐसी इकाई की पात्रता की कालावधि का अवसान नहीं हुआ है, पात्रता प्रमाण-पत्र की अनवसित कालावधि तक कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा, (दो) ऊपर खण्ड (1) की मद (29) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:- किसी उद्यमकर्ता द्वारा पुनर्जीवित की गई कोई बंद औद्योगिक इकाई (जो उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के समक्ष कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाई और किसी ऐसी बंद औद्योगिक इकाई से भिन्न है, जिसके संबंध में यथास्थिति उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन “विशेष पैकेज, 2014 या “पुनर्जीवन योजना” मंजूर की गई हो)।”।</p>

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच(6), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. F A3-33-2014-1-FIVE(6).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notifications specified in column (2) of the table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said table, namely :—

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	422-6596-V-ST dated 9.2.1977	In the said rules, in para 3,- (i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted; (ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted.
2.	A-3-24-94-ST-V (97) dated 06.10.1994	In the said rules,- (1) In part 1-B,- (i) For the words and figure "Special package, 2010", the words and figures "Special package, 2010 or Special Package, 2014" shall be substituted; (ii) For the words and figure "Industrial Promotion Policy, 2010", the words and figures "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014" shall be substituted. (2) In annexure-I, for item (47), the following item shall be substituted, namely :-

		<p>“(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package under the provision of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or “Special package, 2014” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.</p>
3.	A-3 (I)-95-ST-V (47) dated 06.06.1995	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) In part 1-B,-</p> <p>(i) For the words and figure “Special package, 2010”, the words and figures “Special package, 2010 or Special Package, 2014” shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure “Industrial Promotion Policy, 2010”, the words and figures “Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy 2014” shall be substituted.</p> <p>(2) In appendix, for item (47), the following item shall be substituted, namely :-</p> <p>“(47) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package under the provision of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or “Special package, 2014” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.</p>
4.	A-3-68-2004-1-V (21) dated 4.4.2005	<p>In the said rules,-</p> <p>(1) In part 2-C,-</p> <p>(i) For the words and figure “Special package, 2010”, the words and figures “Special package, 2010 or Special Package, 2014” shall be substituted;</p> <p>(ii) For the words and figure “Industrial Promotion Policy, 2010”, the words and figures “Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy, 2014” shall be substituted.</p>

		<p>(2) In annexure-I, for item (47), the following item shall be substituted, namely :-</p> <p>“(45) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than a closed industrial unit in respect of which the “Special package” or “Revival package under the provision of Udyog Sanvardhan Niti, 2004 or “Special package, 2010” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2010 or “Special package, 2014” or “Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.</p>
5.	A-3-25-2010-1-V(96) dated 13.12.2010	<p>(i) After para 5-A, the following para shall be inserted, namely :-</p> <p>“5-B (1) A registered dealer, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2014 or “Revival scheme” has been sanctioned by the High-Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 and in whose favour an eligibility certificate to avail of the facility of exemption from payment of tax was issued and the period of eligibility of such unit has not expired, shall be eligible to avail of the facility of exemption from payment of tax for the unexpired period of eligibility certificate.</p> <p>(2) The period of exemption specified in clause (1) above shall commence from the date of acquisition or revival, as the case may be.”.</p> <p>(ii) In annexure-I, for item (29), the following item shall be substituted, namely :-</p> <p>“(29) A closed industrial unit revived by an entrepreneur (other than an industrial unit which is eligible under serial number 2 in column (2) of the Schedule and a closed industrial unit in respect of which the “Special package, 2014” or Revival scheme” under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014, has been sanctioned by the High Level Committee or the Empowered Committee, as the case may be).”.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच(7).—मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-25-2010-1-पांच(101), दिनांक 13 दिसम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010" "पॉलिसी पैकेज, 2010" और "उद्योग संवर्धन नीति, 2010" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द और अंक "विशेष पैकेज, 2010 या विशेष पैकेज, 2014" पॉलिसी पैकेज, 2010 या पॉलिसी पैकेज 2014" और "उद्योग संवर्धन नीति, 2010 या उद्योग संवर्धन नीति, 2014" क्रमशः स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच(7), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. F A 3-33-2014-1-FIVE(7).—In exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) read with Section 17 of the Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Commercial Tax Act), and Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby makes the following amendments in the department's Notification No. F-A-3-25-2010-1-V(101) dated 13th December, 2010, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for the words and figures "Special package, 2010", "Policy package, 2010" and "Industrial Promotion Policy, 2010" wherever they occur, the words and figures "Special package, 2010 or Special package, 2014", "Policy package, 2010" or Policy package, 2014" and "Industrial Promotion Policy, 2010 or Industrial Promotion Policy, 2014" respectively shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच(8).—मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अनुसार बीमार और बंद औद्योगिक इकाईयों के विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन बकाया राशि जिसमें कर तथा ब्याज शास्ति की राशि सम्मिलित है, का परिसमापन करने के अनुक्रम में योजना बनाई जाना है। अतएव मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 16-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नानुसार योजना बनाती है; अर्थात्:—

1. यह योजना "मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाईयां) सरल समाधान योजना, 2014" कहलाएगी।
2. यह योजना मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन उस बकाया राशि (कर, ब्याज और/या शास्ति) के संदर्भ में प्रभावी होगी, जो किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय है, जिसने किसी ऐसी बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को अधिग्रहीत किया है या उसे पुनर्जीवित किया है, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा "विशेष पैकेज, 2014 या "पॉलिसी पैकेज, 2014" या "पुनर्जीवन योजना" स्वीकृत की गई हो।
3. इस योजना के अधीन प्रदाय की गई सुविधा उस बकाया रकम के लिए उपलब्ध होगी, जो,—
 - (1) "विशेष पैकेज, 2014" की दशा में, अधिग्रहण; या
 - (2) "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, पैकेज की स्वीकृति या कट ऑफ डेट; या
 - (3) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में पुनर्जीवन, की तारीख को शेष है।
4. किसी व्यापारी के संबंध में समाधान बकाया राशि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए प्रकरणों पर प्रत्येक वर्ष अधिनियम वार पृथक्-पृथक् विचार किया जाएगा।
5. (1) समाधान के लिए संदत्त की जाने वाली राशि बकाया में सम्मिलित की गई कर की रकम होगी, यदि कर की रकम का भुगतान—
 - (एक) (क) "विशेष पैकेज, 2014" की दशा में, अधिग्रहण की तारीख से,
 - (ख) "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामीली की तारीख से, 90 दिवस के भीतर;
 - (दो) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामीली की तारीख से, 30 दिवस के भीतर; कर दिया जाता है।
- (2) समाधान के लिए संदत्त की जाने वाली राशि बकाया होगी, यदि निर्धारित वाणिज्यिक कर, वेट और/या प्रवेश कर (जिसमें ब्याज/शास्ति सम्मिलित है) के भुगतान की सुविधा—

- (एक) "विशेष पैकेज, 2014" की दशा में, छह समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में,
 (दो) "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, अधिकतम छत्तीस समान मासिक किश्तों में,
 (तीन) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में छत्तीस समान मासिक किश्तों में या बारह समान त्रैमासिक किश्तों में,
 दी गई हैं।

(3) "विशेष पैकेज, 2014" या "पॉलिसी पैकेज, 2014" के संबंध में किश्तों के भुगतान में विलंब की दशा में, उप खण्ड (2) के अधीन राशि के अतिरिक्त, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रचलित प्राईम लेंडिंग रेट (पी.एल.आर.) से संगणित ब्याज भी समाधान के लिए संदत्त की जाने वाली राशि होगी।

6. (1) यदि बकाया ऐसे कर निर्धारण वर्ष से संबंधित है, जिसके संबंध में अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार, अपील बोर्ड या विभागीय अधिकारियों के समक्ष लम्बित है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी आवेदन पत्र में उल्लेख करेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजना के अनुसार स्वेच्छा से सुविधा का लाभ उठा रहा है तथा वह अपील/पुनरीक्षण/याचिका वापस ले लेगा। योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से, बकाया की वसूली की कार्रवाई स्थगित रहेगी तथा जब समाधान प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो उक्त अपील/पुनरीक्षण/याचिका स्वतः ही वापस ले ली गई समझी जाएगी। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिका/अपील/संदर्भ का संबंध है इन्हें वापस लेने हेतु नियमानुसार आवेदन, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा समाधान प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व समुचित प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे समुचित प्रमाण के अभाव में आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

(2) यदि कोई प्रकरण, अपील/पुनरीक्षण या किसी अन्य मामले में आदेश द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है और पुनः कर निर्धारण पूर्ण नहीं हो पाता है, तो ऐसे प्रकरण पर, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के विकल्प पर, कर निर्धारण आदेश के अनुसार बकाया उस राशि के संबंध में, जो कि मामले को प्रतिप्रेषित करने वाले आदेश की विषयवस्तु थी, योजना के अंतर्गत समाधान के लिए विचार किया जाएगा।

7. समाधान राशि जमा कराई जाने के पश्चात्, बकाया राशि के पूर्ण एवं अन्तिम रूप से निपटारे हेतु समाधान प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

8. समाधान योजना के अधीन प्रकरण के निपटारे के पश्चात् इस योजना के अधीन निराकृत बकाया राशि के संबंध में आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के ब्याज/शास्ति की कार्रवाई विभाग द्वारा प्रशासित किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं की जाएगी। आवेदक भी उसके बाद किसी भी अधिनियम के अधीन कोई अन्य लाभ का हकदार नहीं होगा।

9. योजना के क्रियान्वयन के लिए नियम या मार्गदर्शन राज्य सरकार/आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

10. राज्य सरकार योजना एवं नियमों को किसी भी समय संशोधित कर सकेगी। योजना या नियमों के संबंध में, किसी विवाद की दशा में, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन का विनिश्चय अन्तिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 दीपाली रस्तोगी, सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच(8), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. F.A3-33-2014-1-FIVE(8).—In order to liquidate the amount of arrears which include tax and interest/penalty under Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhinyam, 1994, Madhya Pradesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 administered by the Commercial Tax Department, against the sick and closed industrial units, in accordance with the provisions of the Industrial Promotion Policy, 2014, a scheme has to be made. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 16-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following scheme, namely:-

1. The scheme is known as "Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014".
2. The scheme shall be effective with reference to that amount of arrears (tax, interest and / or penalty) under Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958, Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhinyam, 1994, Madhya Pradesh Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976, which is payable by a registered dealer who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the "special package, 2014" or "policy package 2014" or "revival scheme" has been sanctioned by a high level committee or the empowered committee, as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014.
3. The facility granted under this scheme shall be available for that amount of arrears which is outstanding as on the date of,-
 - (1) acquisition, in case of "special package, 2014"; or
 - (2) sanction of package or the cut off date, in case of "policy package 2014"; or
 - (3) revival, in case of "revival scheme".
4. For the purpose of calculation of samadhan amount of arrears in respect of a dealer, the cases shall be considered Act wise for each year separately.
5. (1) The amount to be paid for samadhan shall be the amount of tax included in the arrears, if amount of tax is paid -
 - (i) within 90 days,
 - (a) from the date of acquisition, in case of "Special Package, 2014";

- (b) from the date of service of sanction order, in case of "Policy Package, 2014",
- (ii) within 30 days from the date of service of sanction order, in case of "Revival Scheme";
- (2) The amount to be paid for samadhan shall be the amount of arrears, if the facility is given to pay the assessed commercial tax, Vat and/or entry tax (including interest/penalty),-
- (i) in case of "Special Package, 2014", in six equal half yearly installments;
- (ii) in case of "Policy Package, 2014", in maximum thirty six equal monthly installments;
- (iii) in case of "Revival Scheme", in thirty six equal monthly installments or twelve equal quarterly installments.
- (3) In case of delay in payment of installments in respect of "Special Package, 2014" or "Policy Package, 2014", in addition to the amount under sub-clause (2), the interest computed at the prevailing Prime Lending Rate (P.L.R.) of State Bank of India shall also be the amount to be paid for samadhan.
6. (1) If the arrears relate to such assessment year, in respect of which appeal, revision or any other proceeding is pending before the State Government, Appellate Board or departmental authorities, then the registered dealer shall state in the application that he is voluntarily availing the facility according to the scheme sanctioned by the Government, and he will withdraw the appeal/revision/petition. From the date of filing of application for availing benefit of the scheme, the action for recovering the arrears shall remain stayed and the said appeal/revision/petition shall be deemed to have been withdrawn automatically when the samadhan certificate is issued. As far as the petition/appeal/reference before the Supreme Court/High Court is concerned the applicant, according to the rules, shall make an application to withdraw the same and shall produce appropriate evidence before the samadhan certificate is issued. For want of such appropriate evidence the application may be rejected.
- (2) If any case is remanded for re-assessment by an order in appeal/revision or in any other case and the re-assessment has not been completed, such a case shall be considered, at the option of the registered dealer, for samadhan under this scheme in respect of the arrears as per the assessment order which was subject matter of the order remanding the case.
7. After the samadhan amount is deposited, a samadhan certificate for the full and final disposal of the amount of arrears shall be issued.

8. No action for interest/penalty against the applicant under any Act administered by the department in respect of the amount of arrears liquidated under this scheme, shall be initiated after the case is disposed of under the samadhan scheme. The applicant also shall not be entitled to any other benefit under any Act afterwards.
9. The rules or guidelines for the implementation of the scheme may be issued by the State Government / Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh.
10. The State Government may amend the scheme or the rules at any time. In case of any dispute in respect of the scheme or the rules, decision of the commercial taxes department, Government of Madhya Pradesh shall be final.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच(9).—यतः राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयां) सरल समाधान योजना, 2014 स्वीकृत की गई है, अतएव, उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम :
इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयाँ) सरल समाधान योजना नियम, 2014" है.
2. परिभाषाएं :
(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) 'बकाया राशि' से अभिप्रेत है, विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर अधिनियम, वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कर, शास्ति और/या ब्याज की निरूपित राशि जो कर निर्धारण पूर्ण होने तथा मांग-पत्र निर्वाह होने के पश्चात् भुगतान हेतु शेष हो;
(ख) 'केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74);
(ग) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, उस वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिसमें औद्योगिक इकाई रजिस्ट्रीकृत है;
(घ) 'प्रवेश कर अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976);
(ङ) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

- (च) 'विक्रय कर अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958(क्र. 2 सन् 1959), 'वाणिज्यिक कर अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995) तथा 'वेट अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) ;
- (छ) 'रजिस्ट्रीकृत व्यापारी' से अभिप्रेत है वेट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने बीमार या बंद औद्योगिक इकाई को, जिसके संबंध में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति उच्च स्तरीय समिति या साधिकार समिति द्वारा " विशेष पैकेज, 2014 " या "पॉलिसी पैकेज, 2014 " या " पुनर्जीवन योजना " मंजूर की गई हो, अर्जित या पुनर्जीवित किया है और जो उक्त औद्योगिक इकाई के विरुद्ध लम्बित बकाया राशि के लिये योजना के अधीन लाभ लेने का इच्छुक है।
- (ज) 'समाधान राशि' से अभिप्रेत है, निर्धारित की गई कर की राशि जिसका मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयाँ) सरल समाधान योजना, 2014 के अधीन प्रकरण पर विचार करने के लिये, भुगतान नकद में किया जाना है;
- (झ) 'धारा' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा;
- (ञ) 'योजना' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयाँ) सरल समाधान योजना, 2014;
- (2) उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किंतु परिभाषित नहीं किए गए किंतु जो योजना में उल्लिखित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो सामान्य विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर अधिनियम, वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम और प्रदेश कर अधिनियम तथा इन अधिनियमों से संबंधित नियमों में उनके लिए दिये गये हों।
3. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी प्ररूप "एक" में आवेदन पत्र दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष,—
- (क) (एक) "विशेष पैकेज, 2014" की दशा में, अधिग्रहण की तारीख से ;
- (दो) "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामीली की तारीख से 120 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा;
- (ख) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में, स्वीकृति आदेश की तामीली की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा:
- परन्तु ऐसे प्रकरणों में जिनमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को पैकेज यह अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व स्वीकृत किया गया है, 120 दिन या 30 दिन की अवधि की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से की जाएगी।

- (2) आवेदन पत्र प्ररूप "एक" में विनिर्दिष्ट तथ्यों को आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाएगा.
- (3) "विशेष पैकेज, 2014" या "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, समाधान राशि के भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा.
- (4) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में, समाधान राशि का भुगतान मंजूर किये गये पैकेज के अनुसार किशतों में किया जाएगा और राशि के भुगतान के पश्चात्, ऐसी किशतों के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालान सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे.
- (5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की अभिस्वीकृति, आवेदन पत्र की दूसरी प्रति में प्रदान की जाएगी.

4. सक्षम प्राधिकारी तथ्यों तथा अभिलेखों का आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर परीक्षण करेगा. यदि, आवेदन पत्र एवं संबंधित अभिलेख के परीक्षण पर, सक्षम प्राधिकारी पाता है कि आवेदक ने समस्त या किसी अपेक्षा की पूर्ति नहीं की है या आवेदन पत्र में दर्शायी गई बकाया राशि या समाधान

राशि या किशत की गणना सही नहीं है, तो वह प्ररूप-दो में सूचना-पत्र व्यापारी को भेजेगा और व्यापारी सूचना-पत्र प्राप्ति से 15 दिवस के अन्दर की गई अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा.

5. यदि प्ररूप-एक में आवेदन पत्र नियमानुसार है या व्यापारी द्वारा प्ररूप-दो में सूचना-पत्र के अनुसरण में की गई अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है, तो सक्षम प्राधिकारी प्ररूप-एक में विनिर्दिष्ट बकाया राशि के पूर्ण एवं अन्तिम रूपेण निराकरण के संबंध में प्ररूप-तीन में,-

(1) "विशेष पैकेज, 2014" या "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, यथास्थिति अभिलेख या प्ररूप-दो में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाने ;

(2) "पुनर्जीवन योजना" की दशा में, समाधान राशि के पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान की

प्राप्ति से 3 कार्य दिवस के भीतर व्यापारी को जारी करेगा।

प्ररूप - एक
[नियम-3 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त.....

विषय : मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण.

मैं योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ :

1.	दिन																			
2.	नाम एवं पता																			
3.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता																			
4.	“विशेष पैकेज, 2014” या “पॉलिसी पैकेज, 2014” या “पुनर्जीवन योजना” स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक																			
5.	प्रकरणवार विवरण :																			

अवधि	अधिनियम	बकाया राशि			योग	समाधान राशि
		कर	ब्याज और/या शास्ति			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

- जो लागू न हो उसे काट दें
“ प्रत्येक अवधि और प्रत्येक अधिनियम के लिये जानकारी पृथक्-पृथक् दर्शाई जाए
- चालान क्रमांक दिनांक सहित एवं राशि (प्रति संलग्न)
 - “पुनर्जीवन योजना” की दर्शा में मासिक/त्रैमासिक किश्त की राशि
 - अपील/निगरानी/याचिका/रेफरेंस की स्थिति (यदि कोई हो)
- निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत मुझे लाभ देने का कष्ट करें।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम और प्रास्थिति
(मालिक/भागीदार/प्रबंधक/कर्ता)
व्यापारी का पता
(मुद्रा)

प्रमाणीकरण

- मैं.....आत्मज/आत्मजा श्री.....
- सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूँ कि मेरे पूर्ण अभिज्ञान एवं विश्वास के अनुसार -
- (क) आवेदन-पत्र मैं दी गई जानकारी और संलग्न साक्ष्य सही एवं पूर्ण हैं तथा बकाया राशि का विवरण एवं अन्य विवरण भी सत्यतापूर्वक दर्शाये गए हैं।
- (ख) योजना एवं तत्संबंधी नियमों के अनुसार घोषणा करने हेतु मैं सक्षम एवं पात्र हूँ एवं योजना तथा नियम मुझे स्वीकार है।
- (ग) मैं स्वेच्छा से शासन द्वारा योजना के अनुसार दी गई सुविधा का लाभ उठा रहा हूँ मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यह घोषणा.....की हैसियत से कर रहा/रही हूँ और तदर्थक अधिकार पत्र संलग्न है (यदि घोषणा आवेदक द्वारा नहीं की जाकर, उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा रही हो तो ही अधिकार पत्र संलग्न करें.)

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर और नाम.....
प्रास्थिति.....

निर्देश :

1. यह आवेदन दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावे. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति देकर दूसरी प्रति वापस की जावेगी.
2. "पैकेज" स्वीकृति आदेश की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे.
3. "विशेष पैकेज, 2014" या "पॉलिसी पैकेज, 2014" की दशा में, समाधान राशि के भुगतान के चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे. समाधान राशि का भुगतान अधिनियम वार किया जावे.
4. न्यायालय/प्राधिकारी के संबंध में जानकारी स्पष्टतः दी जावे (सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/अपील बोर्ड/राज्य सरकार/अपील/निगरानी प्राधिकारी) और समुचित प्रमाण संलग्न किया जावे.
5. कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जावे, यदि अप्रयोज्य हो तो तदनुसार उल्लेख किया जावे.

प्ररूप-दो
(नियम 4 देखिये)

मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत सूचना

क्रमांक.....

दिनांक

प्रति,

.....

विषय : मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र

आपके आवेदन-पत्र दिनांक के संबंध में निम्नलिखित तथ्य आपकी जानकारी में लाये जाते हैं :-

1. अनुक्रमांक पर जानकारी ठीक प्रकार से नहीं भरी गई है.
2. अनुक्रमांक की जानकारी के समर्थन में दस्तावेज संलग्न नहीं किया है.
3. समाधान राशि की गणना सही नहीं है. मेरी गणना अनुसार सही राशि है

अवधि	अधिनियम	बकाया राशि अभिलेखों एवं आवेदन के अनुसार						समाधान राशि		शेष देय
		कर		ब्याज और/या शास्ति		योग		अभिलेख के अनुसार	आवेदन के अनुसार	
		अभिलेख	आवेदन	अभिलेख	आवेदन	अभिलेख	आवेदन			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

4. किश्त की गणना सही नहीं है. मेरी गणना अनुसार सही किश्त..... है.
5. (यहाँ अन्य कोई अपेक्षा हो तो दर्शायी जाए)

तदनुसार,

1. कृपया अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये.
2. कृपया कुल शेष राशि 15 दिनों के अंदर भुगतान करें.
3. कृपया ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित किश्त के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें.

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

(सक्षम प्राधिकारी)

नाम

पदनाम.....

(मुद्रा)

प्ररूप-तीन

(नियम 5 देखिये)

मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत

समाधान प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....

दिनांक

व्यापारी मेसर्स.....(नाम एवं पता)
द्वारा मध्यप्रदेश बकाया राशि (बीमार और बंद औद्योगिक इकाइयों) सरल समाधान योजना, 2014 के अन्तर्गत प्ररूप-एक में आवेदन-पत्र दिनांक..... को प्रस्तुत किया है। अतः योजना के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के अनुसरण में एतद्वारा व्यापारी को यह प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि बकाया राशि, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है, का पूर्ण और अन्तिम निराकरण कर दिया गया है :-

1.	दिन													
2.	नाम एवं पता													
3.	औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता													
4.	“विशेष पैकेज, 2014” या “पॉलिसी पैकेज, 2014” या “पुनर्जीवन योजना” स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक													
5.	प्रकरणवार विवरण” :													

अवधि	अधिनियम	बकाया राशि			योग	समाधान-राशि
		कर	ब्याज और/या शास्ति	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				योग		

6. चालान क्रमांक दिनांक सहित एवं राशि

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

(सक्षम प्राधिकारी)

नाम.....

पदनाम.....

मुद्रा

जो लागू न हो उसे काट दें

“ प्रत्येक अवधि और प्रत्येक अधिनियम के लिये जानकारी पृथक्-पृथक् दर्शाई जाए

पृष्ठांकन क्रमांक.....

दिनांक

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग.....
3. अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर,.....
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त.....
5. कर निर्धारण अधिकारी.....
6. आवेदनकर्ता मेसर्स.....

हस्ताक्षर.....

(सक्षम प्राधिकारी)

नाम.....

पदनाम.....

मुद्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक एफ ए 3-33-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-33-2014-1-पांच(9), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, dated 14th January 2016

No. F A 3-33-2014-1-FIVE(9).—Whereas the State Government has sanctioned “Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014”, now, therefore for the implementation of the said Yojana, The State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title,-

These rules may be called the Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna Niyam, 2014. ..

2. Definitions,-

- (1) In these rules unless the context otherwise requires, -
- (a) 'Amount of arrears' means amount of tax, penalty and / or interest levied / imposed under General Sales Tax Act, Vanijyik Kar Adhinyam, Vat Act, Central Sales Tax Act and Entry Tax Act which is due for payment after the completion of assessment and service of the demand notice;
 - (b) 'Central Sales Tax Act' means Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956);
 - (c) 'Competent authority' means the Commercial Tax Officer of the circle in which the industrial unit is registered ;
 - (d) 'Entry Tax Act' means Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976);
 - (e) 'Form' means forms appended to these rules;
 - (f) 'General Sales Tax Act' means Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959), 'Vanijyik Kar Adhinyam' means Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhinyam, 1994 (No. 5 of 1995) and 'Vat Act' means Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);
 - (g) 'Registered dealer' means a dealer registered under the Vat Act, who has acquired or revived a sick or closed industrial unit in respect of which the "special package, 2014" or "policy package 2014" or "revival scheme" has been sanctioned by a high level committee or the empowered committee as the case may be, under the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014 and is "desirous of availing of benefit under the scheme for the amount of arrears pending against the industrial unit;
 - (h) 'Samadhan amount' means the amount determined which is to be paid in cash for considering the case under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014;
 - (i) 'Section' means the section of the Vat Act;
 - (j) 'Scheme' means Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014;
- (2) All other words and expressions used in the scheme, but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the General Sales Tax Act, Vanijyik Kar Adhinyam, Vat Act, Central Sales Tax Act and Entry Tax Act and in the rules to the said Acts.

3. (1) The registered dealer shall submit application in Form-I in duplicate before the competent authority,-
- (a) within 120 days from,
- (i) the date of acquisition, in case of "special package, 2014";
- (ii) the date of service of the sanction order, in case of "policy package, 2014, and
- (b) within 30 days from the date of service of the sanction order, in case of "revival package".

Provided that the period of 120 days or 30 days shall be calculated from the date of issue of this notification, in cases wherein a registered dealer has been sanctioned a package prior to the date of issue of this notification.

- (2) The facts specified in the application in form I shall be verified and signed by the applicant.
- (3) In case of "special package, 2014" or "policy package 2014", challan as proof of payment of samadhan amount shall be enclosed along with the application.
- (4) In case of "revival scheme", the samadhan amount shall be paid in instalments in accordance with the package sanctioned and after payment of the amount, challans as proof of payment of such instalments shall be submitted to the competent authority.
- (5) The competent authority shall give acknowledgement in second copy of the application.
4. The Competent Authority shall scrutinise the facts and the records within fifteen days of the receipt of the application. If, on scrutiny of the application and the relevant record, the Competent Authority finds that the applicant does not comply with all or any of the requirements or the amount of arrears shown in the application or the calculation of the samadhan amount or instalment is not correct, he shall send a notice in Form-II to the dealer and the dealer shall comply with the requirements within fifteen days of receipt of the notice.
5. If the application in Form-I is in order or the dealer has complied with the requirements in pursuance of a notice in Form II, the Competent Authority shall issue a samadhan certificate in Form-III to the dealer in respect of the full and final settlement of the amount of arrears specified in Form I, within three working days of receipt of,
- (1) the records or of compliance of the requirements specified in Form II, as the case may be, in case of "special package, 2014" or "policy package 2014";
- (2) challans as proof of full and final payment of the samadhan amount, in case of "revival scheme".

FORM-I
[See Rule 3(1)]

APPLICATION

Under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014

To,

The Commercial Tax Officer,

Circle

Subject - Submission of the application under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014.

I am submitting the following declaration under the Scheme :-

1.	TIN																	
2.	Name and address																
3.	Name and address of the industrial unit																
4.	No. and date of order sanctioning the "special package, 2014" or "policy package, 2014" or "revival scheme"																
5.	Case wise particulars ** :																	
	Period	Act	Amount of arrears			Samadhan amount												
			Tax	Interest and/or penalty	Total													
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
															Total			

* strike out whichever is not applicable.

** Information for each period and each Act be shown separately.

6. Challan No. with date and amount.
(copy enclosed)
7. Amount of monthly/quarterly instalment, in case of "revival scheme"
8. Status of appeal/revision/reference/petition (if any)

It is requested that benefit may be allowed to me in the above cases under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna , 2014.

Place
date

Signature
Full name and Status
(Proprietor/ partner/ manager/ Karta)
Address of the dealer
(seal)

VERIFICATION

IS/o/D/o Shrisolemnly affirm that according to my knowledge and belief,-

- (a) the information given in the application and the evidence enclosed are true and complete and also the particulars of amount of arrears and other particulars shown are true.
- (b) I am competent and eligible to file the application under the scheme and the rules there-under and I accept the scheme and rules.
- (c) I am voluntarily availing of the benefit given by the Government under this scheme.

I also declare that I am submitting this application in the status of and for this authority letter is enclosed (if the declaration is not made by the dealer and is being filed by the person authorised by the dealer then only the authority letter is to be enclosed).

Place
Date

Signature and name.....
Status

Directions -

1. This form should be submitted to the competent officer in duplicate. One copy shall be returned by the competent officer after acknowledging the receipt.
2. Copy of the order sanctioning the "package" should be enclosed along-with the application.
3. In case of "Special Package, 2014" or "Policy Package, 2014" Copy of the challan for payment of Samadhan amount should be enclosed along-with the application. The payment of samadhan amount should be made Act wise.
4. Information with regard to court/authority should be clearly stated (Supreme Court/High Court/Appellate Board/State Government/ Appeal/ Revision Authority) and appropriate evidence should be enclosed.
5. No column should be left blank, if not relevant then state accordingly.

FORM - II
(See Rule 4)
NOTICE

**Under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units)
Saral Samadhan Yojna, 2014**

No.

Date

To.

.....
.....

Subject- Application Under the Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014.

With reference to your application dated..... the following facts are brought to your notice.-

- * 1. The information at serial No..... has not been filled properly,
2. The document in support of information at serial No..... has not been enclosed.
3. The calculation of Samadhan amount is not correct. According to my calculation the correct amount is , -

Period	Act	Amount of arrears as per records and application						Samadhan amount		Balance payable
		Tax		Interest and/or penalty		Total		As per records	As per application	
(1)	(2)	Records (3)	Application (4)	Records (5)	Application (6)	Records (7)	Application (8)	(9)	(10)	(11)

4. The calculation of instalment is not correct. According to my calculation the correct instalment is
5. (here specify if any other requirement).
Accordingly,
 - (1) please provide the required information/document within 15 days;
 - (2) please deposit the total remaining amount within 15 days.
 - (3) please ensure payments as per the instalment mentioned at paragraph 4 above.

Place

Date

Signature

(Competent Authority)

Name

Designation.....

(seal)

FORM-III
(Rule 5)

SAMADHAN CERTIFICATE

**Under Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units)
Saral Samadhan Yojna, 2014**

No.

Date

The dealer M/s(Name and Address) has submitted an application in Form-I on (date) under the Madhya Pradesh Bakaya Rashi (Sick and Closed Industrial Units) Saral Samadhan Yojna, 2014. Therefore, in pursuance of the powers under the scheme this certificate is issued to the dealer for the full and final disposal of the amount of arrears details of which are given in the table below :-

1.	TIN					
2.	Name and address				
3.	Name and address of the industrial unit				
4.	No. and date of order sanctioning the "special package, 2014" or "policy package, 2014" or "revival scheme"				
5.	Case wise particulars ** :					
	Period	Act	Amount of arrears			Samadhan amount
			Tax	Interest and/or penalty	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Total	
6.	Challan No. with date and amount :-					

Place

Signature Date

(Competent Authority)

Name.....

Designation.....

Seal

* strike out whichever is not applicable.

** Information for each period and each Act be shown separately.

Ehdt. No.

Dated

Copy to :

1. Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore
2. Deputy Commissioner, Commercial Tax, Division
3. Appellate Deputy Commissioner, Commercial Tax,
4. Commercial Tax Officer, Circle
5. Assessing Authority
6. Applicant M/s

Signature Date

(Competent Authority)

Name.....

Designation.....

Seal

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.